भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 4142/उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0नि0वि0परि0/2023–24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 2748/Teh_004/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 29.08.2023 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम तैल्याकाटल, सौंग नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 09, खसरा संख्या 01म0, कुल रकवा 1.0 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रतिवर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 18,000 टन एवं आधार मूल्य रू0 12,60,000.00 निर्धारित करते हुए नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में उक्त लॉट की तकनीकी निविदा दिनांक 21.09.2023 (गुरूवार) को खोली गयी, जिसमें 02 बिड प्राप्त होने तथा तकनीकी निविदा में ऑनलाईन न्यूनतम 03 निविदा प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 3307/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

उक्त लॉट की निविदा आमंत्रण संख्या 3581/Teh_004/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी। निविदा समिति की संस्तुति दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) के अनुसार जनपद टिहरी गढवाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम तैल्याकाटल, सौंग नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 09, खसरा संख्या 01म0, कुल रकवा 1.0 है0 उपखनिज क्षेत्र में दिनांक 17.10.2023 (मंगलवार) को तकनीकी निविदा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 31.10.2023 को घोषित किया गया।

निदेशालय के पत्र संख्या 3908/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 31.10.2023 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 17.10.2023 के अनुसार जनपद टिहरी गढवाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम तैल्याकाटल, सौंग नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 09, खसरा संख्या 01म0, कुल रकवा 1.0 है0 उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाता को सफल घोषित किया गया :–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	*2*	*3*
1.	श्री युवराज सिंह चौहान	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।
2.	श्री दयाल सिंह	निविदाकार द्वारा आवेदन शुल्क, जी0एस0टी0 शुल्क, निविदा प्रपत्र शुल्क एवं ई0एम0डी0 की मूल प्रति निदेशालय में जमा न कराये जाने के कारण असफल निविदाकार घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 01.11.2023 (बुधवार) समय पूर्वाहन 11.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त बोली धनराशि (रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार **H1** का परिणाम (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*
1.	श्री युवराज सिंह चौहान	14,41,999.00	H1

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार

प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाता को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमांक 01 पर वर्णित बोलीदाता श्री युवराज सिंह चौहान को H1 बोलीदाता घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की क्रमवार घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0–1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम–23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच–2 बोलीदाता को एच–1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया एच–3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्त का अनुपालन न किये जाने की दशा में ई–नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई–नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार श्री युवराज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री जी0एस0 चौहान, निवासी– सेक्टर 7डी0, बौराडी, टिहरी गढवाल H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 14,41,999.00 (रू0 चौदह लाख इकतालीस हजार नौ सौ निन्यानवें मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 3,60,500.00 (रू0 तीन लाख साठ हजार पांच सौ मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम–25(1) में किये गये प्रावधानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 12,60,000.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य 3,15,000.00 के सापेक्ष 3,20,000.00 की धनराशि अर्नेस्ट मनी के सापेक्ष बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 112318878, दिनांक 19.09.2023, रू0 3,20,000.00 (रू0 तीन लाख बीस हजार मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 3,60,500.00 – 3,20,000.00 = **40,500.00**) रू0 40,500.00 (रू0 चालीस हजार पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, जमा की जायेगी, ताकि नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार कराने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हों) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

अतः H1 बोलीदाता श्री युवराज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री जी0एस0 चौहान, निवासी– सेक्टर 7डी0, बौराडी, टिहरी गढवाल को निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार अवशेष धनराशि) रू0 40,500.00 (रू0 चालीस हजार पांच सौ मात्र) 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष बंधक हो, निदेशालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियम 25(1) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता को असफल बोलीदाता घोषित करते हुए जमा धनराशि का जब्त कर लिया जायेगा।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 4142 /उ0ख0/भू0खनि0नि0/वि0निवि0परि0/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :–

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
3. उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद टिहरी गढवाल।
4. एच–1 बोलीदाता श्री युवराज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री जी0एस0 चौहान, निवासी– सेक्टर 7डी0, बौराडी, टिहरी गढवाल।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक